बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-फ०बी०यो०-2-14/2012/ 489 पटना, दिनांक- 26-03-2013

प्रेषक,

विजय प्रकाश,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

विषय:- 'मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक(ASV)' को पंचायत/कार्य आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशालय का पत्रांक-2085 दिनांक-23.11.12, पत्रांक-2110 दिनांक-27.11.12 एवं पत्रांक-215 दिनांक-07.02.13 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में अनेक जिलों से ASV पैनल में इंटर वाणिज्य उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के गणित/सांख्यिकी विषय एवं अन्य मामले के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है:-

i. इंटर वाणिज्य उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के गणित/सांख्यिकी विषय को बोनस अंक प्रदान किया जाय अथवा नहीं?

ii. ASVs के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जाँचोपरांत मेधासूची में प्रदत्त अंक से भिन्नता की स्थिति वाले अभ्यर्थियों को कार्य आवंटन किस तरह किया जायगा? क्या उन्हें पैनल से हमेशा के लिये बाहर कर दिया जायेगा?

iii. अनेक अभ्यर्थियों द्वारा गलत कार्यानुभव की सूचना अंकित करने के कारण कार्य आवंटन से वंचित किया गया है । उनके बारे में क्या किया जाना है?

iv. कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जन्म तिथि में भी भिन्नता की सूचना दी गयी है उनके बारे में क्या किया जाना है?

v. ASV के पारिश्रमिक राशि का भुगतान किस प्रकार होगा?

उपर्युक्त त्रुटियों के संबंध में सम्यक विचारोपरांत निम्नाकिंत निर्णय लिये गये है:-

1. इंटर वाणिज्य वाले अभ्यर्थी जो व्यवसायिक गणित एवं सांख्यिकी के साथ उत्तीर्ण है उन्हें गणित की ही तरह बोनस अंक देय होगा अर्थात् 75% से अधिक प्राप्तांक के लिये-10 अंक, 60% से लेकर 75% तक वाले को 8 अंक, 45% से लेकर 59.9% प्राप्तांक वाले को 6 अंक तथा 45% से कम प्राप्तांक वाले को 3 अंक प्रदान किये जायेगें।

602 Sanju 19-3-13

2. परीक्षा में सफल ASV का शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के जाँचोपरांत प्राप्त अंकों के आधार पर यदि मेघासूची में प्रदत्त अंक से भिन्नता की स्थिति में वास्तविक अंक के आधार पर ही उन्हें कार्य आवंटित किया जायेगा अर्थात् वे पैनल में रहेगें तथा अपनी बारी आने पर वे कार्य आवंटन के हकदार होगें।
3. जन्म तिथि, लिंग एवं फोटो में भिन्नता की स्थिति में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी साक्ष्य के साथ निदेशालय को प्रस्ताव भेजेगें जिसके आधार पर NIC से संशोधन हेतु निदेशालय द्वारा अनुरोध किया जायेगा।

**कंडिका-1, 2 एवं 3 में वर्णित कारणों से यदि पूर्व में मेघासूची के वरीयताक्रम वाले अभ्यर्थियों को कार्य से वंचित रखा गया हो तो उन्हें नैसर्गिक न्याय की अवधारणाओं के अनुरूप नये सिरे से कार्य आवंटन किया जाय।**

4. परीक्षा में उत्तीर्ण ASV को प्रमाण-पत्र निर्गत करने की कार्रवाई निदेशालय द्वारा की जा रही है।
5. ASV को निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के प्रतिवेदन पर बैंक एकाउंट के माध्यम से किया जायगा जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि ASV द्वारा पूर्ण गुणवत्ता के साथ ससमय कार्य सम्पादित किया गया है और पारिश्रमिक भुगतान के योग्य है।

उपरोक्त सभी आदेश का अनुपालन- सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव।

602 Sanju 19-3-13